म.प्र.शासन

श्रम विभाग, मंत्रालय

भोपाल

क्रमांक/..321/PS/Labour/2020 भोपाल दिनांक 24/5/2020

प्रति,

समस्तकलेक्टर्स

मध्यप्रदेश

विषय- **मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक, जो प्रदेश के बाहर कार्यरत (नियोजित) रहे हैं तथा 1 मार्च, 2020 या उसके उपरांत मध्यप्रदेश में लौटे है के सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन हेतु 27 मई से 3 जून, 2020 के मध्य अभियान विषयक।**

--

(1) "मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना" तथा "भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल " (संनिर्माण मण्डल) में पूर्व में श्रमिकों का सर्वे किया गया है। वर्तमान में उनमें क्रमश: 137.25 लाख तथा 8.95 लाख श्रमिक पंजीबद्ध हैं।

(2) कोविड महामारी में मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे, 1 मार्च, 2020 या उसके बाद बड़ी संख्या में प्रदेश में वापस आए हैं। श्रमिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं के समस्त लाभ देने की द्रष्टि से **राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 मार्च, 2020 को अथवा उसके उपरान्त म.प्र. में लौटे प्रवासी श्रमिकों, जो म.प्र. के मूल निवासी हैं, का सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन का अभियान 27 मई से 3 जून, 2020 के मध्य किया जावे।**

(3) उक्त कार्य समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायक तथा समस्त नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों के द्वारा किया जावे।

(4) सर्वे का कार्य NIC द्वारा विकसित मोबाईल एप के माध्यम से किया जाएगा। मोबाईल एप संबल पोर्टल(sambal.mp.gov.in) में एवं Google Play store में उपलब्ध रहेगा। संबल पोर्टल में इस कार्य हेतु **"प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली"** को निर्मित किया गया है, जिसका उपयोग भी किया जा सकता है।

(5) सर्वे के दौरान निम्न श्रेणियों का सर्वे, सत्यापन, पंजीयन नहीं किया जावेगा :-
(i) प्रवासी श्रमिक जो म.प्र. के मूल निवासी नहीं हैं, **(ii)** म.प्र. के मूल निवासी

श्रमिक जो 1 मार्च, 2020 से पूर्व नियोजित राज्य से म.प्र. में प्रवासी श्रमिक के रूप में लौट आये हैं, (iii) म.प्र. के मूल निवासी श्रमिक जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गए हैं।

(6) जिन प्रवासी श्रमिकों का समग्र आई.डी. नहीं है तथा जो म.प्र. के मूल निवासी हैं ऐसे प्रवासी श्रमिकों का समग्र आई.डी. नियत प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल पर जनरेट की जावें। तदुपरान्त ही ऐसे प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य पोर्टल पर समग्र आई.डी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जावे। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पोर्टल पर समग्र आई.डी. अंकित किया जाना बंधनकारी है।

(7) सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन उन्हीं प्रवासी श्रमिकों का किया जावेगा जो "मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना" अथवा "भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल " में पंजीयन के लिए पात्रता रखते हैं।

(8) इस अभियान में पात्र प्रवासी श्रमिकों से संलग्न सर्वे फार्म में जानकारी प्राप्त कर उसे पोर्टल के माध्यम से 3 जून, 2020 के पूर्व अपलोड की जावे तथा पूर्ण रूप से भरे गए सर्वे फार्म को रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावे। ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी अधूरे सर्वे फार्म को पूरा भरे जाने में आवेदक की मदद सुनिश्चित करेंगे।

(9) सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन हेतु आधारकार्ड का नम्बर भरा जाना बंधनकारी हैतथा आधार अधिप्रमाणन (aadhar authentication) आवश्यक होगा।

(10) ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे। नगर निगमों में निगम आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे। पदाभिहित अधिकारी द्वारा पोर्टल पर स्वीकृति प्रदान करने पर ही सर्वे किए हुए प्रवासी श्रमिक का पंजीयन पोर्टल पर दर्ज हो सकेगा। यह समस्त कार्य कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

(11) संबंल पोर्टल में प्रवासी मजदूर के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं के लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में कार्य दिया जा सके। खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) सर्वे कार्य के समय कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल यथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग आदि का आवश्यक रूप से पालन किया जावे।

(13) प्रक्रिया संबन्धित अन्य समस्त जानकारी,समय समय पर जारी निर्देश / मार्गदर्शन संबल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।

(14) कृपया उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर समय-सीमा में कार्य सुनिश्चत करें।

संलग्न- (1) प्रवासी श्रमिक सर्वे के प्रपत्र प्रारूप(मय दो परिशिष्ट)

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

पृ. क्रमांक/ 322/ PS/ Lab/ 040/2020 भोपाल दिनांक 24/5/2020

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र. शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. शासन, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाने हेतु
4 श्री आई.सी.पी. केशरी, प्रभारी स्टेट कन्ट्रोल रूम एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन,नर्मदाघाटी विकास विभाग,
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाने हेतु
7.प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सूचना प्रौद्योगि की को मोबाईल एप निर्माण समय सीमा मे किये जाने तथा प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हेतु प्रेषित
8. प्रमुख सचिव , म.प्र. शासन, खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
10. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर
11. समस्त संभागायुक्त,

12. म.प्र. प्रबंध संचालक, मेप आईटी को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु अंकित

13. आयुक्त जनसंपर्क विभाग

14. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र , विंध्याचलभवनभोपाल

15. सचिव, म.प्र. भवन एंव अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल

16. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.

17. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय म.प्र.

18. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधिकारी म.प्र.

19. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र.

(हस्ताक्षर) 24/5/20

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत आने वाले कर्मकारो के प्रवर्ग की ट्रेडवार जानकारी

1 पत्थर काटने वाले या पत्थर तोडने वाले या पत्थर पीसने वाले
2 राज (मेसन) या ईटों पर रददा लगाने वाले
3 बढ़ई (कारपेंटर)
4 पुताई करने वाले (पेंटर)
5 फिटर या बार वेंडर
6 सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लंवर
7 इलैक्ट्रीशियन
8 मैकेनिक
9 कुएं खोदने वाले
10 वेल्डिंग करने वाले
11 मुख्य मजदूर
12 मजदूर
13 स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने मे लगे)
14 लकड़ी या पत्थर पैंक करने वाले
15 कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर
16 हथौड़ा चलाने वाले
17 छप्पर डालने वाले
18 मिस्त्री
19 लौहार
20 लकड़ी चीरने वाले
21 कॉलकर
22 मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित)
23 पंप आपरेटर
24 मिक्सर चलाने वाले
25 रोलर चालक
26 बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी
27 चौकीदार
28 मोजाईक पॉलिस करने वाले
29 सुरंग कर्मकार
30 संगमरमर / कडप्पा पत्थर कर्मकार
31 सड़क कर्मकार
32 चट्टान तोड़ने वाले एवं खनिज कर्मकार
33 संनिर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले
34 चूना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार
35 बाढ़ कटावरोधि कार्य में लगे कर्मकार
36 बांध, पुल, सड़क या किसी भवन संनिर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार
37 कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के अधीन ईट बनाने में लगे कर्मकार से भिन्न कर्मकार
38 पंडाल संनिर्माण में लगे कर्मकार
39 सीमेंट पोल का संनिर्माण

40 खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) के अधीन आने वाले रेत एवं मिट्टी के खनन तथा परिवहन से भिन्न कार्य

41 कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) के अधीन सम्मिलित ईट भट्टा, खपरा (रूफ टाईल्स), फ्लाय एश तथा टाईल्स के भिन्न कार्य

42 किसी भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य में लगा हुआ कोई धातु शिल्पी कार्य

43 किसी भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य जैसे छतों की थेचिंग तथा बांस (बम्बू) टाईल्स आदि तैयार करने के रोजगार में लगा हुआ कोई बांस शिल्पी

44 अन्य

असंगठित श्रमिकों की श्रेणी

1 साईकिल रिक्शा चालक, हाथठेला चालक
2 शहरी घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक
3 हाकर, फेरीवाले श्रमिक
4 कृषि श्रमिक
5 हम्माल एवं तुलावटी श्रमिक
6 बुनकर श्रमिक
7 केश शिल्पी श्रमिक
8 मत्स्य श्रमिक
9 दुकान, रेस्टोरेन्ट व्यापार में संलग्न श्रमिक
10 परिवहन श्रमिक
11 मनरेगा श्रमिक
12 पत्थर तोड़ने तथा दलने वाले श्रमिक
13 पक्की ईट तथा टाईल्स बनाने वाले श्रमिक
14 सिलाई श्रमिक
15 सुगंधित तीलीयां एवं अगरबत्ती बनाने वाले श्रमिक,
16 पापड़, अचार, जेम्स आदि बनाने वाले श्रमिक
17 खिलौने बनाने वाले श्रमिक
18 चमड़े का शोधन करने वाले श्रमिक
19 जूते तथा चमड़े की वस्तु एवं मरम्मत करने वाले श्रमिक
20 साफ सफाई तथा झाडू बहारू करने वाले श्रमिक
21 रैगपिकर्स
22 कढ़ाई, कढ़ाई की सजावट (स्माकिन) तथा तैयार वस्त्र बनाने में नियोजित श्रमिक
23 आटा, तेल, दाल तथा चावल मिल में नियोजित श्रमिक
24 प्राईवेट सुरक्षा सेवा में नियोजित श्रमिक
25 प्लास्टिक उद्योग में नियोजित श्रमिक
26 बर्तन बनाने वाले श्रमिक
27 लकड़ी का कार्य करने वाले श्रमिक
28 दरी तथा कारपेट बनाने वाले श्रमिक
29 आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग में कार्यरत श्रमिक
30 डब्बे तथा पैकिंग का कार्य करने वाले श्रमिक
31 कबाड़ी श्रमिक
32 दुग्ध उद्योग में कार्यरत श्रमिक
33 वनोपज कार्य में नियोजित श्रमिक
34 रेशम उत्पाद में नियोजित श्रमिक
35 कपड़ो की रंगाई में नियोजित श्रमिक
36 रेत, खदान, मिट्टी खदान आदि में नियोजित श्रमिक
37 लदाई-उतराई, ढेर लगाने (स्टेकिंग), पैकिंग करने, वहन करने, तौलने, मापने और ऐसे ही अन्य शारीरिक कार्य में नियोजित श्रमिक
38 गोदामों में खदानों की छंटाई तथा सफाई, खदानों का बोरो में भरना, बोरो की सिलाई आदि कार्यो में नियोजित श्रमिक
39 खादी हथकरघा तथा पावरलूम उद्योगो में नियोजित श्रमिक
40 कारीगर(शिल्पी) जैसे-लोहार, बढ़ई, गारा बनाने, चाक बनाने(कुम्हार) आदि में नियोजित श्रम
41 अन्य

म.प्र. के प्रवासी श्रमिकों को सर्वे एवं पंजीयन (निर्माण श्रमिक /असंगठित श्रमिक)

श्रमिक का फ़ोटो

1. समग्र आई डी नं. | | | | | | | | | |
2. प्रवासी श्रमिक का नाम ....
3. जन्म दिनांक | | | | | | | | |
4. लिंग ....
5. निवास का पता ....
6. श्रमिक के पिता / पति का नाम ....
7. आधार नम्बर | | | | | | | | | | | | | |
8. मोबाईल नम्बर | | | | | | | | | | |
9. प्रदेश के बाहर नियोजन का राज्य ....
10. प्रदेश के बाहर नियोजन का जिला ....
11. म.प्र./गृह जिले में नियोजित स्थान से वापिस आने का दिनांक ....
12. क्या भवन अथवा निर्माण से जुड़े श्रमिक हैं यदि हाँ तो कार्य का स्वरूप **(देखें परिशिष्ट-1)** ....
13. क्या कण्डिका 9 से पृथक अन्य संगठित अथवा असंगठित श्रमिक की परिभाषा के अन्तर्गत हैं यदि हाँ तो कार्य का स्वरूप **(देखें परिशिष्ट-2)** ....
14. ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे प्रवासी श्रमिक क्या मनरेगा में कार्य के इच्छुक हैं ?

    हाँ.............जॉबकार्ड नम्बर ....नहीं..............................
15. स्वयं का बैंक खाता क्रमांक | | | | | | | | | | | | | | | |
16. बैंक आईएफएससी कोड | | | | | | | | | | | |
17. प्रवासी श्रमिकों के साथ वापिस आये परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण

    (i) नाम .... समग्र आई.डी.क्रमांक ....

    (ii) नाम .... समग्र आई.डी.क्रमांक ....

    (ii) नाम .... समग्र आई.डी.क्रमांक ....

PTO..

(असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक हेतु)

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि -

(i) मैं असंगठित क्षेत्र में नियोजित हूँ तथा म.प्र. असंगतठित कर्मकार कल्याण अधिनियम 2003 के अन्तर्गत पंजीयन की पात्रता रखता / रखती हूँ।

(ii) मैं किसी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ, जिसमें सामाजिक सुरक्षा हितलाभ यथा भविष्य निधि आदि प्राप्त हो रहे हों।

(iii) मैं आयकर दाता नहीं हूँ।

(iv) मेरे पास एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है।

मैं सत्यापित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

(भवन एवं अन्य संनिर्माण से संबंधित प्रवासी श्रमिकों हेतु)

मै घोषणा करता / करती हूँ कि :-

मेरे द्वारा विगत एक वर्ष के दौरान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के रूप में 90 दिवस से अधिक कार्य किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर